न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार झिंगोनिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 13 / 24 दायरा दिनांक 04.09.2024

1. रामचरण पुत्र भमरू उम्र 67 वर्ष जाति खंगार निवासी कस्बाथाना जिला बारां राज0
2. रमेश पुत्र भमरू उम्र 67 वर्ष जाति खंगार निवासी कस्बाथाना जिला बारां राज0

अपीलान्टस

बनाम

1. ग्राम पंचायत आगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत आगर पं0स0 शाहाबाद तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
2. कलावती पत्नी सीताराम जाति खंगार पुत्री भमरू निवासी खाण्डासहरोल जिला बारां राज0
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय शाहावाद जिला बारां राज0

– रेस्पोन्डेन्टस्

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण दिनांक 06.08.1999 कमांक 322 ग्राम औगाड तह0 शाहाबाद जिला बारां

निर्णय दिनांक 23.03.2026

उपस्थित–
अपीलाण्टस की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
रेस्पो0 कम 1,2 की ओर से – एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 14.05.2025

1. अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्टस के पिता भमरू पुत्र कुन्नु के तस्दीक किये गये अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण में अपीलाण्ट कम 1 रामचरण के स्थान पर कल्लू दर्ज कर इंतकाल तस्दीक कर लिया उक्त कारण से अपीलाण्ट कम 1 का नाम रामचरण के स्थान पर गलत नाम कल्लू खाता जमाबंदी में दर्ज होने से भूमि के खातेदार के रूप में अपने अधिकारों के उपयोग उपभोग में परेशानी है व गलत नाम कल्लू दर्ज होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण अशुद्व विधिविरूद्व होने से निरस्तनीय है। अपील तिथि जानकारी से अवधि मध्य पेश है। अपील का श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण ग्राम औगाड कमांक 322 दिनांक 06.08.1999 को निरस्त कर अपीलाण्टस कम 1, 2 व रेस्पो0 कम 2 के नाम नामान्तरकरण दर्ज के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 की तलबी की गई। रेस्पो0 कम 1 व 2 के विरूद्व सूचना होने के बावजूद अनुपस्थित रहने से दिनांक 14.05.2025 को एकपक्षीय सुनवाई के आदेश पारित किये गये।

3. अपीलाण्टस वकील की एकपक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल नामान्तरकरण 322 से प्रमाणित है कि खातेदार भमरू पुत्र कुन्नू कौम

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

गोंहजा सा0 देह के मरने के बाद विरासत पुत्र रमेश कल्लू तथा पुत्री कलावती के नाम दिनांक 06.08.99 को दर्ज की गई है। अपीलाण्टस का अभिवचन है कि अपीलाधीन फोती नामान्तरकरण में अपीलाण्ट कम 1 रामचरण के स्थान पर कल्लू नाम गलत दर्ज किया गया है, इस कारण भूमि के खातेदार के रूप में अपने अधिकारों के उपयोग उपभोग में परेशानी है। ग्राम पंचायत औगाड के प्रस्तुत प्रमाणपत्र में रामचरण नाम सही होना बताया गया है। फिर भी ये जांच का विषय है कि अपीलाण्ट रामचरण खातेदार भमरू का पुत्र है अथवा नहीं।

4. अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण कमांक 322 ग्राम औगाड को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि मृत खातेदार भमरू पुत्र कुन्नू कौम गोंहजा सा0 देह के वारिसान की नये सिरे विधिवत जांच कर पुनः विरासत दर्ज करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पालना हेतु तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद